न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 250 / 2021
जयसिंह मील पुत्र स्व0 गणपत सिंह मील, शिव मंदिर सिनेमा के सामने, जे0एम0 बजाज एजेन्सी के पीछे, फतेहपुर रोड, सीकर (राज0) 332001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 15.12.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.11.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 250 / 2021 पर दिनांक 29.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 3720–21 दिनांक 29.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 569 दिनांक 14.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे जो सूचना चाही है उक्त सूचना के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / आरटीआई / 2021 / 556 दिनांक 09.11.2021 के द्वारा आवेदनकर्ता को अवगत करवा दिया गया कि चाही गई सूचना मे मद संख्या 1 से 3 तक प्रश्नगत एवं अस्पष्ट होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है एवं मद संख्या 4 मे चाही गई सूचना 23 वर्ष पुरानी होने से मौजूद कार्यालय रिकार्ड मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नही है। आवेदनकर्ता को सूचना नही देने का कोई कारण नही बनता है। आवेदकनकर्ता सूचना से संबंधित स्पष्ट जानकारी उपल्ब्ध कराने पर इस कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी जावगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।

6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ पत्रांक सू0अ0अ0/2021/569 दिनांक 14.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे जो सूचना चाही है उक्त सूचना के क्रम मे उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आरटीआई/2021/556 दिनांक 09.11.2021 के द्वारा आवेदनकर्ता को अवगत करवा दिया गया कि चाही गई सूचना मे मद संख्या 1 से 3 तक प्रश्नगत एवं अस्पष्ट होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है एवं मद संख्या 4 मे चाही गई सूचना 23 वर्ष पुरानी होने से मौजूद कार्यालय रिकार्ड मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नही है। आवेदनकर्ता को सूचना नही देने का कोई कारण नही बनता है। आवेदकनकर्ता सूचना से संबंधित स्पष्ट जानकारी उपल्ब्ध कराने पर उनके कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी जावगी। चूंकि अपीलार्थी को सूचना नही मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि पुराने रिकार्ड को कमेटी गठन कर तलाशा जाकर एवं अपीलार्थी से सम्पर्क कर स्पष्ट रूप से आवेदन लिया जाकर अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं